<u>अधिसूचना</u>   नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 6/2016- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. ____(अ).- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 35/2001-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.) में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं0 464(अ), तारीख 26 जून, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना के खंड (8) में, उपखंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,--

"(iii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय शीर्ष 7113 के अधीन आने वाले रजत आभूषण की वस्तुओं से भिन्न, किन्तु जिसमें हीरा, रूबी, पन्ना या नीलम जड़ित रजत आभूषण की वस्तुऐं सम्मिलित हैं, आभूषण की वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन में लगे प्रत्येक विनिर्माण या कारखाना या परिसर उपर्युक्त उपखंड (i) से (ii) से छूट प्राप्त होंगे ।"।

[फा.सं0 334/8/2016-टीआरयू]

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 35/2001-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 26 जून, 2001 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 464(अ) तारीख 16 सितंबर, 1993 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं0 7/2015-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा जो सं0 सा.का.नि. 152(अ) तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।